मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0

समस्तीपुर डेयरी, औद्योगिक क्षेत्र, पो0– हरपुर एलौथ, जिला– समस्तीपुर– 848101
Tel : 06274 – 228013, 228012, Email: mithila.idis@gmail.com
Website: www.mithiladairy.com

सं0:मदुस:परिवहन:निविदा: 3818 दिनांक 30 / 09 / 2024

परिवहन निविदा सूचना–05 / 2024
(अवधि विस्तारित करने के संबंध में)

संघ पत्रांकः मदुसः 3438 दिनांक 02.09.2024 के कार्यादेश अनुपालनार्थ परिवहन निविदा सूचना सं0 05 / 2024 के आलोक में कुल–65 पथों के लिए निविदा मांगी गयी, निविदा के विरूद्ध मात्र 09 पथों (01 ए, 01सी, 3बी, 6सी, 17, 25, 20सी, 15, 47) का ही टेक्नीकल बीड सफल हुए शेष कुल 54 पथों में असफल रहने के कारण पुनः निविदा की तिथि विस्तारित की जाती है तथा 02 (08 एवं 3सी) पथ का पुनः निविदा निरस्त की गई है। दिनांक 16.10.2024 को 5.30 बजे अपराहन तक निविदा आमंत्रित की जाती है।

मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, समस्तीपुर अन्तर्गत समस्तीपुर, रोसड़ा, दरभंगा एवं मधुबनी क्षेत्र के विभिन्न दुग्ध पथों में स्थित दुग्ध समितियों से डेयरी / शीतक केन्द्र / बल्क मिल्क कूलर तक कच्चे दूध का परिवहन के लिए विभिन्न प्रकार के गाड़ियों यथा, पीकअप या समतुल्य एवं टाटा ACE वाहन भाड़े पर देने वाले इच्छुक परिवहन संवेदक (गाड़ी मालिक) से मुहर बन्द लिफाफे में **दिनांक 16.10.2024 को 5.30 बजे अपराहन तक** निविदा आमंत्रित की जाती है।

एकरारनामा से सम्बन्धित शर्तें पथ की विवरणी इत्यादि के साथ निविदा प्रपत्र दिनांक 03.10.2024 से 14.10.2024 के बीच कार्यालय दिवस में 1000 / – रूपये में नगद जमा कर, संघ मख्यालय समस्तीपुर, लेखा शाखा के रोकड़ काउण्टर से प्राप्त किया जा सकेगा। **निविदा प्रपत्र संघ के वेबसाईट** पर उपलब्ध रहेगा जिसको डाउनलोड कर तथा भरकर जमा करने के समय 1000 रूपये का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा। निविदा संबंधित विस्तृत जानकारी एवं एकरारनामा प्रति वेबसाईट **www.mithiladairy.com** से डाउनलोड कर सकते हैं।

दिनांक 17.10.2024 को 11.30 बजे में संघ के सभाकक्ष में टेक्नीकल बीड खोली जायेगी जिसमें इच्छुक निविदादाता / प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं।

टेक्निकल बीड में सफल निविदादाता का निविदा दिनांक 19.10.2024 को 11.30 बजे पूर्वाहन में वित्तीय बीड उपरोक्त कार्यालय के सभाकक्ष में खोली जायेगी। जिसमें निविदादाता / प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

सभी निविदाओं को बिना कारण बताये रद्द करने / निविदा की तिथि घटाने या बढाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

30/09/24

प्रबन्ध निदेशक
30/9/24

अनु0– निविदा प्रपत्र (कुल पृष्ठ–18)

प्रति0 :– नोटिस बोर्ड
समस्तीपुर डेयरी / दरभंगा डेयरी / रोसडा / मधुबनी दुग्ध शीतक केन्द्र।
:– संयोजक, वित्त समिति
मदुस, समस्तीपुर– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
:– प्रबन्ध निदेशक प्रकोष्ठ, मदुस, समस्तीपुर।
:– सहायक महाप्रबंधक (प्रापण एवं प्लांट)

मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0

समस्तीपुर डेयरी, औद्योगिक क्षेत्र, पो0– हरपुर एलौथ, जिला– समस्तीपुर– 848101
Tel : 06274 – 228013, 228012, Email: mithila.idis@gmail.com
Website: www.mithiladairy.com

निविदा सूचना संख्या: 05/2024

–दुग्ध संग्रहण परिवहन निविदा–सारांश

1. निविदांकर्त्ता का पता	:–	प्रबन्ध निदेशक, मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 समस्तीपुर डेयरी समस्तीपुर औद्योगिक क्षेत्र, पोस्ट– हरपुर एलौथ, जिला– समस्तीपुर – 848103 (बिहार)
2. निविदा सूचना तिथि	:–	03.09.2024
3. निविदा प्रपत्र क्रय/डाउनलोड करने की तिथि	:–	दिनांक 03.10.2024 से 16.10.2024 के शाम 5 बजे तक
4. निविदा प्रपत्र मुल्य	:–	रू0 1000.00 (एक हजार मात्र) वापसी योग्य नहीं
5. निविदा प्रपत्र की प्राप्ति	:–	हमारे बेवसाइट **www.mithiladairy.com** से डाउन लोड किया जा सकता है। प्रपत्र की राशि का डिमांड ड्राफ्ट तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है एवं निविदा प्रपत्र संघ मुख्यालय के रोकड़ शाखा से किसी भी कार्य दिवस में 11.00 पूर्वा से 3.00 अपराहन तक प्राप्त कर सकते है। रू0 1000/– का मनी रसीद/डिमांड ड्राफ्ट तकनिकी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
6. निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि	:–	दिनांक 16.10.2024 (बुद्धवार) के शाम 5.30 बजे तक संघ मुख्यालय के संग्रहण शाखा में <u>कुरियर/स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक/निविदादाता स्वयं भी जमा कर सकता है,</u> तथा समय पर आवेदन प्राप्त नहीं होने पर स्वीकार नहीं किया जायेगा।
7. टेक्निकल बीड खोलने की तिथि	:–	दिनांक 17.10.2024(गुरूवार) को 11.30 बजे पूर्वाहन संघ का सभाकक्ष में क्रय कमिटि एवं उपस्थित निविदादाता के समक्ष खोला जायेगा।

8. वित्तीय बीड खोलन की तिथि :— तकनीकी निविदा में सफल निविदा का वित्तीय बीड दिनांक 19.10.2024 (शनिवार) को 11.30 बजे पूर्वाहन संघ के सभाकक्ष में क्रय कमिटि एवं उपस्थित निविदादाता के समक्ष खोला जायेगा।

9. अग्रधन / जमानत राशि :— प्रत्येक पथ के तकनीकी निविदा के साथ अग्रधन की राशि 5000 / — (पॉच हजार) रू0 बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करेंगे। सफल निविदादाता का अग्रधन की राशि जमानत राशि के रूप में समायोजित कर ली जायेगी एवं असफल निविदादाता का अग्रधन राशि वापस कर दी जायेगी । सफल निविदादाता शर्त के अनुसार कार्य करने में असमर्थ होने पर अग्रधन राशि जब्त कर ली जायेगी। निविदा प्रपत्र की मूल्य राशि एवं अग्रधन राशि तकनिकी निविदा के साथ संलग्न नहीं रहने पर निविदा रद्द कर दी जायेगी।

— निविदा प्रपत्र में निविदा हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निविदा शर्तें की विवरणी पथ के अनुसार गाड़ियों का प्रकार तथा टेक्नीकल बीड एवं वित्तीय बीड के प्रपत्र संलग्न रहेंगे।

अद्योहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी भी समय निविदा रद्द करने का अधिकार होगा ।

30/9/24

प्रबन्ध निदेशक

अनु0 —: दुग्ध परिवहन निविदा भरने संबंधित सामान्य शर्तें (पृष्ठ सं0—3)

: कार्य अनुबंध की सामान्य शर्तें एवं दिशानिर्देश (पृष्ठ सं0—4—6)

: तंकनिकी बिड प्रारूप (पृष्ठ सं0—7—9)

: वित्तीय बिड प्रारूप अनुलग्नक सहित (पृष्ठ सं0—10)

: एकरारनामा की शर्तें (पृष्ठ सं0—11—16)

: बन्ध पत्र (पृष्ठ सं0—17)

: चेक लिस्ट (पृष्ठ सं0—18)

मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0,

समस्तीपुर डेयरी, पोस्ट – हरपुर एलौथ

समस्तीपुर – 848 103

दुग्ध परिवहन निविदा भरने से संबंधित सामान्य शर्तें

01. प्रत्येक पथ के लिए निविदा अलग–अलग भरें तथा डाउन लोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ प्रत्येक पथ के लिए 1000.00 (एक हजार) रू0 का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करें एवं संघ कार्यालय से नगद क्रय किये निविदा प्रपत्र के साथ मनी रसीद संलग्न करें, डिमाण्ड ड्राफ्ट "मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0" के नाम से "समस्तीपुर" में भुगतेय होगा। बिना ड्राफ्ट अथवा मनी रसीद संलग्न तकनिकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

02. निविदा प्रपत्र में परिवहन दर प्रति किलोमीटर के आधार पर अंकित किया जाए। परिवहन दर में ही टॉल टैक्स सम्मिलित होगा। अर्थात संघ द्वारा टॉल टैक्स का भुगतान अलग से नहीं किया जायेगा।

03. संबंधित अनुलग्नक सहित निविदा एवं वित्तीय निविदा भरकर अलग–अलग लिफाफे में रखें एवं बंद करे दोनो लिफाफे के उपर निविदादाता अपना नाम/पता संघ कार्यालय का पता पथ सं0 जिसके लिये निविदा दी गई है एवं निविदा सूचना सं0 लिखें। तकनिकी निविदा के उपर तकनिकी निविदा एवं वित्तीय निविदा के उपर वित्तीय निविदा अलग–अलग भरें । तकनिकी एवं वित्तीय निविदा लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में रखें एवं बंद करे। बड़े लिफाफे के उपर निविदादाता अपना नाम/पता/संघ कार्यालय का पता पथ सं0/ पथ का नाम जिसके लिये निविदा दी गयी है निविदा सं0 एवं निविदा जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात 16.10.2024 लिखें। इस बड़े लिफाफे को संघ कार्यालय में अंतिम तिथि से पूर्व जमा करें।

04. भरे हुए निविदा के साथ गाड़ी का ऑनर–बुक, रोड परमिट, फिटनेश एवं टैक्स टोकन तथा बीमा संबंधी कागजात की छाया प्रति संलग्न करें।

05. भरे निविदा कूरियर/स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक एवं स्वयं हाथों संघ मुख्यालय के कार्यालय में दिनांक 16.10.2024 को 5.30 बजे अप0 तक जमा करें। डाक या किसी अन्य कारण से विलम्ब से प्राप्त निविदा के लिए संघ जिम्मेवार नहीं होगा।

06. निविदा दिनांक 17.10.2024 को 11.30 बजे पूर्वा0 दिन में दुग्ध संघ, समस्तीपुर डेयरी के सभा कक्ष में खोली जायेगी जिसमें निविदादाता/प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

07. अलग–अलग पथों के लिए अलग–अलग निविदा प्रपत्र प्रस्तुत किया जायेगा तथा अग्रधन राशि 5000.00 (पॉच हजार) रू0 का ड्राफ्ट जमा किया जायेगा, परंतु एक गाड़ी नम्बर का सिर्फ एक ही पथ में निविदा भरा जायेगा। अगर संघ को एक गाड़ी नम्बर का एक से अधिक पथों के लिए निविदा प्राप्त होता है, तो स्थिति में सभी निविदा रद्द कर दी जायेगी अर्थात वैसे प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

प्रबन्ध निदेशक

मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0,समस्तीपुर

दुग्ध संग्रहण परिवहन ठेका के अनबंध की सामान्य शर्तें एवं दिशा-निर्देश

दुग्ध संग्रहण परिवहन एक अति आवश्यक एवं नियमित सेवा है। इस कार्य के ठेका हेतु सामान्य शर्तों एवं दिशा–निर्देश निम्न प्रकार है :–

01. निविदा में प्रस्तुत दर स्वीकृत्यादेश की तिथि से सामान्यतः दो वर्ष के लिये लागू रहेगा। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर आपसी सहमति से अधिकतम एक वर्ष के लिये और विस्तारित किया जा सकेगा।

02. प्रतिदिन दोनों पाली में निविदित पथ के लिये मिथिला दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुरूप दुग्ध समितियों में संग्रहित दूध का परिवहन कर समस्तीपुर डेयरी /दुग्ध शीतक केन्द्रों/बल्क मिल्क कूलर तक पहुंचाना होगा।

03. दुग्ध समितियों से प्राप्त मांग पत्र के अनुरूप भंडार शाखा से सुधादाना,एसिड,अल्कोहल आदि सामग्री (समितियों में प्रयोग हेतु) प्राप्त कर समितियों को पहुँचाना होगा।

04. दुग्ध संघ द्वारा समय–समय पर निर्गत समय–सारणी से विलम्ब से दूध पहुँचाने के कारण समितियों से प्राप्त दूध के खट्टा या दही हो जाने से समितियों को हुए पूर्ण क्षति की कटौती आपके परिवहन विपत्र से की जायेगी ।

05. कार्यादेश में अंकित गाड़ी द्वारा ही दूध परिवहन का कार्य करेंगे। गाड़ी के खराब होने की स्थिति में उक्त शर्त संघ द्वारा शिथिल किया जायेगा, परंतु इस आशय की लिखित सूचना संवेदक को दुग्ध संघ को देनी होगी जिसमें नियमित गाड़ी के बदले अन्य गाड़ी द्वारा परिवहन कार्य करने का गाड़ी नम्बर तथा अवधि का उल्लेख हो। उक्त अवधि के दौरान संवेदक की जिम्मेवारी होगी कि नियमित गाड़ी के स्थान पर नयी गाड़ी पर उनके नियमित चालक/खलासी गाड़ी पर रहे जिससे समिति/दुग्ध संघ को कोई दिक्कत नहीं हो।

06. दुग्ध पथ का विस्तार,संकुचन अथवा दुग्ध संग्रहण बंद करना (परिस्थिति के अनुसार) दुग्ध संघ प्रबंधन का अधिकार होगा एवं समय-समय पर निर्गत आदेश आपको मान्य होगा।

07 गांडी चालक के अतिरिक्त एक दक्ष खलासी का रहना अनिवार्य है ताकि केन लोडिंग एवं अनलोडिंग कार्य सुचारू रूप से हो सके।

08. वास्तविक परिचालित दूरी के आधार पर संग्रहण शाखा द्वारा परिवहन विपत्र भुगतान की अनुशंसा की जाती है इसके लिये संबंधित पदाधिकारी से परिचालित दूरी सत्यापित कराना आवश्यक होगा।गाड़ी का किलोमीटर दर्शाने वाला मीटर सही स्थिति में रखना आवश्यक होगा।

09. अन्य शर्तें परिवहन एकरारनामा में निर्धारित शर्तों के अनुरूप होगा।

10. ठेका प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर एकरारनामा कार्यालय में जमा करना आवश्यक है अन्यथा विपत्र भुगतान बाधित हो सकता है जिसकी जबाबदेही आपकी होगी।

11. डेयरी को उपलब्ध कराये जा रहे परिवहन गाड़ी के सभी कागजात एवं चालक का ड्राईविंग लाईसेंस अद्यतन रहना अनिवार्य होगा।

12. निविदा प्रपत्र 2 भाग में है:–(क)टेक्निकल बीड (ख) वित्तीय बीड

(क) टेक्निकल बीड में उल्लेखित सभी कागजातों की छाया प्रति तथा निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं अग्रधन राशि का ड्राफ्ट/रसीद संलग्न कर लिफाफा में बंद कर सील करें तथा लिफाफा पर **टेक्निकल बीड** एवं अंतिम तिथि –16.10.2024 एवं निविदत पथ का नाम लिखना आवश्यक है।

(ख) **वित्तीय बीड** में परिवहन दर एवं व्यौरा भर कर अलग से लिफाफा में भर कर बन्द करना होगा तथा लिफाफा पर **वित्तीय बीड** एवं निविदत पथ का नाम लिखना आवश्यक है।

(ग) **दोनों लिफाफा** को अन्य **तीसरे बड़े लिफाफा** में डालकर **रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/स्वयं के माध्यम** से उपलब्ध कराना होगा। लिफाफा पर **संग्रहण परिवहन ठेका एवं अंतिम तिथि 16.10.2024 तथा निविदत पथ का नाम एवं संख्या तथा निविदादाता का नाम एवं पूरा पता लिखना अनिवार्य है।**

(घ) **सर्वप्रथम टेक्निकल बीड खोला जायगा तथा उसमें सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय बीड कमिटि एवं निविदादाता के समक्ष खोला जायेगा।**

निविदादाता का हस्ताक्षर

13. निविदादाता से अलग–अलग पथ के लिए अलग–अलग दर निविदा स्वीकार्य होगा।

14. निविदादाता एवं अन्य पार्टियों से आवश्यकता समझे जाने पर निगोसियेसन द्वारा दर निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार मिथिला दुग्ध संघ प्रबंधन को सुरक्षित रहेगा।सभी निविदाओं को अस्वीकार करने एवं किसी निविदा को आंशिक या पूर्ण अस्वीकृत करने, निविदादाताओं में आवश्यकतानुसार कार्य का बंटवारा करने का अधिकार मिथिला दुग्ध संघ प्रबंधन को सुरक्षित रहेगा।

15. सफल निविदादाताओं को मिथिला दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित शर्तों पर दूध परिवहन कार्य हेतु स्थानीय कोर्ट से 1000/–रूपया मात्र के ननजुडिसियल स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा करना अनिवार्य होगा।एकरारनामा के अनुसार कार्य संपादन नहीं करने पर सिक्युरिटी मनी जब्त कर ली जायगी एव तत्काल ठेका रद्द कर दिया जायेगा। एकरारनाम में कोर्ट से शपथ पत्र बनाना होगा तथा दो जमानतदार से जमानत देनी होगी।

16. परिवहनकर्ता द्वारा परिवहन कार्य बंद करने के लिये कम से कम एक महीने की अग्रिम नोटिस देना अनिवार्य है।

17 परिवहन संवेदक पाक्षिक विपत्र भुगतानार्थ प्रस्तुत कर सकते है। विपत्र प्राप्ति के 15 वें दिन तक बैंक के माध्यम से आवश्यक कटौती (समिति दावा, क्षति, आयकर इत्यादि) के पश्चात भुगतान किया जायेगा।

18. तकनीकी बिड के साथ अग्रधन की राशि प्रत्येक पथ के निविदा के लिये 5000/– रूपये मात्र अलग–अलग पथ के लिये होगा जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो "मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0" के पक्ष में समस्तीपुर में भुगतेय होगा, संलग्न करेंगे। सफल निविदादाताओं के अग्रधन की राशि के रूप में समायोजन किया जायेगा जिसपर कोई ब्याज देय नहीं होगा। अग्रधन राशि का ड्राफ्ट संलग्न नहीं होने के स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा तथा निविदादाता का अपने स्वामित्व का गाड़ी होना आवश्यक है अन्यथा निविदा स्वतः अस्वीकृत हो जायेगा। अगर संघ को एक गाड़ी नम्बर का एक से अधिक पथों के लिये निविदा प्राप्त होता है, वैसी स्थिति में निविदादाता के सभी निविदा रद्द कर दिया जायेगा अर्थात वैसे प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

19. तकनीकी बिड के आवश्यक शर्तों के सन्दर्भ में प्रमाण के रूप में माँगे गये दस्तावेजों या उसके अनुरूप मानक पुरा नहीं करने पर आवेदक/निविदादाता को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा एवं उनके वित्तीय बिड नहीं खोला जायेगा। जिसके कारण निविदादाता का निविदा स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा उनको अग्रधन राशि 5000/– मात्र वापस कर दी जायेगी।

कार्यालय का पता–मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि,समस्तीपुर
औद्योगिक क्षेत्र,पो0– हरपुर एलौथ,जिला–समस्तीपुर
पिन–848103 (बिहार)

20. स्वीकृत निविदा का सूचना गाड़ी मालिक (निविदादाता) को मिलने के उपरान्त जमानत राशि जमा नही करने या आवंटित कार्य न्युनतम 15 दिनों तक सम्पादित नहीं करने की स्थिति में अग्रधन राशि 5000/– मात्र संघ द्वारा जप्त कर ली जायेगी।

21. सशर्त निविदा अमान्य किया जा सकता है।

22. डीजल दर रू0 92.34 प्रतिलीटर के अनुरूप दर निवेदित करेंगे।

23. एकरारनामा प्रारूप के सभी पृष्टों को सहमति स्वरूप हस्ताक्षर कर तकनिकी बिड के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

24. दर परिवर्तन : कुल मिलाकर डीजल के मूल्य में वृद्धि अथवा कमी दो रूपया या उससे अधिक होने की दशा में अगस्त 2024 के माह में डीजल का दर रू0 92.34 प्रतिलीटर को आधार मानते हुए निर्धारित दर वर्ष में तीन बार क्रमशः 01 जनवरी ,01 मई एवं 01 सितम्बर से चार–चार माह के अन्तराल पर परिवर्तनीय होगा। जो पथ में तय की जा रही दूरी पर आधारित होगा।

डीजल की खपत प्रति लीटर टाटा Ace के लिए 14 कि0मी0, पीकअप भान के लिए 10 कि0मी0, टाटा–407 के लिए 08 कि0मी0, टाटा 709/समतुल्य के लिए 06 कि0मी0 मानकर गणना की जायेगी। संशोधित दर उसके अगले भुगतान अवधि से लागू होगा।

25. परिवहन कर्ता से किसी भी प्रकार के बकाये की वसूली पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के अन्तर्गत की जायगी।

26. निविदित परिवहन गाड़ी का मॉडल (निबंधन) 08 (आठ) वर्ष पूर्व से अधिक का नहीं होना चाहिये। यह शर्त पूरे कार्य अवधि में लागू रहेगा एवं गाड़ी से संबंधित सभी कागजात जिला परिवहन कार्यालय के मान्य शर्तो के अनुरूप होनी चाहिये।

मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0

समस्तीपुर डेयरी, औद्योगिक क्षेत्र, पो0– हरपुर एलौथ, जिला– समस्तीपुर– 848101
Tel : 06274 – 228013, 228012, Email: mithila.idis@gmail.com
Website: www.mithiladairy.com

COMFED

DUSS

विवरणी

क्रमांक	पथ संख्या	पथ विवरणी कहाँ से	पथ विवरणी कहाँ तक	वाहन का प्रकार	अनुमानित दूरी लगभग दोनों मिलाकर (कि0मी0)
1.	1	ताजपुर बी0एम0सी0	खैडीमिल्की, सलोनी, वैनी, डोरापार दादपुर वापस ताजपुर बी0एम0सी0	पिकअप / समतुल्य	108
2.	9	गरौती बी0एम0सी0	पकड़ीडीह बालापुर समिति वापस गरौती बी0एम0सी0	पिकअप / समतुल्य	148
3.	3 ए	ब्रहमपुर बी0ए0सी0	बाजितपुर दानी टोल, भासिंगपुर, तेतारपुर, रामगामा एवं शिवना वापस ब्रहमपुर बी.एम.सी.	पिकअप– / समतुल्य	93
4.	4 सी	बस्तरी बी0एम0सी0	सुपौल भाया बिरनामा वापस बस्तरी बी0एम0सी0	पिकअप– / समतुल्य	64
5.	8 सी	फिरोजपुर पतैली बी0एम0सी0	बनघाड़ा, किशनपुर, बहादुरपुर अरमौली भाया गंगसारा सरायरंजन वापस फिरोजपुर पतैली बी0एम0सी0	पिकअप / समतुल्य	118
6.	4 ए	दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	काले, दुधपुरा वापस दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	पिकअप / समतुल्य	84
7.	4 ए–1	दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	भिरार से महुली वापस दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	पिकअप / समतुल्य	102
8.	4 ए–2	मोरवाड़ा बी.एम.सी	मोरवाड़ा, बथान चौक, लिलहोल वापस मोरवाड़ा बी.एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	114
9.	4 बी	दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	बसंतपुर रमणी, भादोघाट वापस दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	पिकअप / समतुल्य	125
10.	4 बी–1	दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	भटौरा मठ,शिवाजीनगर वापस दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	टाटा–407 / समतुल्य	96
11.	4 बी–2	दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	जाखर, सोनूपुर वापस दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	पिकअप / समतुल्य	102
12.	20	दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	उजान, मोरकर्री मोड़ वापस दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	टाटा–407 / समतुल्य	203

क्रमांक	पथ संख्या	पथ विवरणी		वाहन का प्रकार	अनुमानित दूरी लगभग दोनों मिलाकर (कि0मी0)
		कहाँ से	कहाँ तक		
13.	20 बी	दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	गौड़ीडीह, बरैपुरा, मब्बी वापस दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	पिकअप / समतुल्य	86
14.	10	दरभंगा डेयरी	दोघरा चौक वापस दरभंगा डेयरी	टाटा407 / समतुल्य	192
15.	10 ए	कमतौल बी.एम.सी.	वाजितपुर वापस कमतौल बी. एम.सी.	टाटा407 / समतुल्य	160
16.	10 बी	दरभंगा डेयरी	कोरा वापस दरभंगा डेयरी	टाटा407 / समतुल्य	198
17.	11	दरभंगा डेयरी	रामपुर कंसी वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप / समतुल्य	190
18.	11 ए	दरभंगा डेयरी	खरारी भरवारी हायाघाट वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप / समतुल्य	164
19.	11 बी	कमरगामा बी.एम.सी.	नेयाम, मनिकौली वापस कमरगामा बी.एम.सी.	पिकअप / समतुल	90
20.	11 सी	दरभंगा डेयरी	गोढैला वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप / समतुल्य	140
21.	11 डी	दरभंगा डेयरी	कमलपुर, पंचोभ वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप / समतुल	85
22.	13	बिठौली बी.एम.सी.	सरहिल्ला चौक मन्नुपुरखर्रा वापस बिठौली बी.एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	152
23.	13 ए	बिठौली बी.एम.सी.	ददरवाड़ा वापस बिठौली बी. एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	124
24.	14	कहुआ बी.एम.सी.	चकला, सुहथ भाया पिपड़ा वापस कहुआ बी.एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	156
25.	31	दरभंगा डेयरी	चक्का लहवार भाया अंदामा वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप / समतुल्य	150
26.	32	झिलोरिया बी.एम.सी.	सिमरी, कुशेश्वर स्थान वापस झिलोरिया बी.एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	106
27.	34	दरभंगा डेयरी	बहेड़ा भाया गैवाल वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप / समतुल	164
28.	35	महवा बी.एम.सी.	कोनीघाट वापस महवा बी.एम. सी	पिकअप / समतुल्य	90
29.	36	झिलोरिया बी.एम.सी.	पलवा वापस झिलोरिया बी. एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	150
30.	37	झिलोरिया बी.एम.सी.	जमालपुर वापस झिलोरिया बी.एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	200
31.	38	दरभंगा डेयरी	पुरुषोतमपुर वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप / समतुल्य	171
32.	43	कमतौल बी.एम.सी.	भगवतीपुर वापस कमतौल बी. एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	123

क्रमांक	पथ संख्या	पथ विवरणी		वाहन का प्रकार	अनुमानित दूरी लगभग दोनों मिलाकर (कि0मी0)
		कहाँ से	कहाँ तक		
33.	44	कहुआ बी.एम.सी.	देवना, तारडीह वापस कहुआ बी.एम.सी.	पिकअप/ समतुल्य	206
34.	32 ए	झिलोरिया बी0एम0सी0	तिलकेश्वर, विशनीया पूर्वी हरिनाही, वापस झिलोरिया बी0एम0सी0	पिकअप/ समतुल्य	108
35.	46	दरभंगा डेयरी	अमताही विधिपुर नवादा वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप/ समतुल्य	238
36.	13+24	महवा बी.एम.सी.	काकर, लक्ष्मिनिया वापस महवा बी.एम.सी.	पिकअप/ समतुल्य	120
37.	13+24 ए	महवा बी.एम.सी.	उसरी, इनाई वापस महवा बी. एम.सी.	पिकअप/ समतुल्य	80
38.	26	उमगांव बी.एम.सी.	बरहा वापस उमगांव बी.एम.सी.	पिकअप/ समतुल्य	188
39.	28	उमगांव बी.एम.सी.	पलिगोठ वापस उमगांव बी.एम. सी.	पिकअप/ समतुल्य	198
40.	29	उमगांव बी.एम.सी.	सेलर वापस उमगांव बी.एम.सी.	पिकअप/ समतुल्य	196
41.	20 डी	इधैल, रजबाड़ा, डुमरा वापस रामपुर बी.एम.सी.	मुसहनियाँ से वापस सिमरा बी. एम.सी.	टेम्पु	72
42.	12	दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	सिंघासो मलंगिया वापस दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	पिकअप/ समतुल्य	190
43.	12 ए	दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	रथौस, भोजपंडौल वापस दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	पिकअप/ समतुल्य	156
44.	22	दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	चतरा से कालीकापुर नवटोली वापस दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	पिकअप/ समतुल्य	152
45.	23	दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	ओलीपुर वापस दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	पिकअप/ समतुल्य	155
46.	33	दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	बिरौल से एकतारा वापस दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	पिकअप/ समतुल्य	170
47.	40	दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	गिधवास वापस दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	पिकअप/ समतुल्य	180
48.	45	दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	मेधौल से नरपतिनगर वापस दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	पिकअप/ समतुल्य	162
49.	16	सिमरा बी.एम.सी.	नवहथ से बटुरी वापस सिमरा बी.एम.सी.	पिकअप/ समतुल्य	204
50.	16 ए	सिमरा बी.एम.सी.	राधिकापुर वापस सिमरा बी.एम. सी.	पिकअप/ समतुल्य	205
51.	27	सिमरा बी.एम.सी.	रूद्रपुर, बेलही वापस सिमरा बी. एम.सी.	पिकअप/ समतुल्य	138
52.	30	सिमरा बी.एम.सी.	रौआही वापस सिमरा बी.एम.सी.	पिकअप/ समतुल्य	233

क्रमांक	पथ संख्या	पथ विवरणी		वाहन का प्रकार	अनुमानित दूरी लगभग दोनों मिलाकर (कि0मी0)
		कहाँ से	कहाँ तक		
53.	39	सिमरा बी.एम.सी.	दोनवारी वापस सिमरा बी.एम. सी.	पिकअप/ समतुल्य	232
54.	48	सिमरा बी.एम.सी.	मुसहरनियाँ से वापस सिमरा बी. एम.सी.	पिकअप/ समतुल्य	164

अधोहस्ताक्षरी को विना कारण बताए प्राप्त निविदा को पूर्ण/आंशिक रूप से रद्द/स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

प्रबन्ध निदेशक

मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0

समस्तीपुर डेयरी, औद्योगिक क्षेत्र, पो0– हरपुर एलौथ, जिला– समस्तीपुर– 848101
Tel : 06274 – 228013, 228012, Email: mithila.idis@gmail.com
Website: www.mithiladairy.com

दुग्ध संग्रहण परिवहन ठेका कार्य हेतु अनुमोदित
टेक्निकल बीड प्रपत्र

(क्रमांक–01,02,05,07,08 एवं 10 तकनिकी रूप से योग्य होने हेतु पूरा करना आवश्यक होगा)

निविदा सूचना संख्या.............
तिथि–

आवेदक अपना हाल का पासपोर्ट साईज स्व हस्ताक्षरित फोटो चिपकायें

01. पथ का नाम जिसके लिये निविदा दी जा रही है.........

पथ संख्या– ....

पथ का नाम–

02. निविदादाता का पूरा नाम :–
(आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र संलग्न करें)
(क) स्थायी पता–
ग्राम .... पत्रालय – ....
पंचायत –............................ प्रखंड– ....
जिला – .... राज्य– ....

(ख) वर्तमान पता–
ग्राम .... पत्रालय – ....
पंचायत –............................ प्रखंड– ....
जिला – .... राज्य ....

3. जन्म तिथि –.....................

4. शैक्षनिक योग्यता...........

5. ईमेल आई0डी0 – ....मोबाईल न0...

6. दुग्ध संग्रहण परिवहन व्यवसाय का अनुभव वांछनीयः– हॉ/ नहीं
यदि हॉ तो कब से

7. गाड़ी का पूर्ण विवरण – ....

(क) गाड़ी का प्रकार ....(ख) मॉडल – ....

निविदादाता का हस्ताक्षर

(ग) निबंधन संख्या :– (ऑनर बुक का फोटो कॉपी संलग्न करें)

(घ) क्या गाड़ी मालिक आप हैं:– हॉ/नहीं

(ङ) गाड़ी का बीमा अद्यतन है:– हॉ /नही
(बीमा का फोटो कॉपी संलग्न करें)

(च) गाड़ी का मोडल वर्ष 2016 के सितम्बर के बाद का ही मान्य होगा।

(छ) फिटनेस प्रमाण पत्र का फोटो कॉपी संलग्न करें ।

(ज) रोड टेक्स का फोटो कॉपी संलग्न करें ।

(झ) चालाक का ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो कॉपी संलग्न करें ।

(ड.) पावर ऑफ एटोर्नी की मूल प्रति (यदि गाड़ी स्वयं का ना हो)

(ञ) गाड़ी मालिक निविदित पथ संख्या का निवासी नहीं होना चाहिए।

08. अपना पैन नम्बर लिखें :–
(फोटो कॉपी संलग्न करें)

09. बैंक खाता संख्या:–
बैंक नाम :–
(विगत छः माह का बैंक स्टेटमेन्ट या पासबुक का फोटो कॉपी संलग्न करें)
बैंक में कम से कम एक लाख रूप्या तीन महीने अथवा इससे अधिक ट्रांजेक्सन होना चाहिये।

10. (क) निविदा के साथ जमा किये गये अग्रधन राशि 5000/– की विवरणी:–

बैंक ड्राफ्ट की संख्या एवं तिथि:–
ड्राफ्ट की राशि :–
बैंक का नाम :–

(ख) निविदा प्रपत्र के मुल्य की राशि 1000/– मात्र की विवरणी
रसीद सं0– या बैंक ड्राफ्ट संख्या–

11. क्या आप उपर दर्शाये गये गाड़ियों को निविदा खुलने / अन्य निर्धारित तिथि को डेयरी परिसर में निरीक्षण हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं:– हॉ/नहीं

निविदादाता का हस्ताक्षर

12. क्या आपने दुग्ध संग्रहण परिवहन ठेका के अनुबंध की सामान्य शर्तों एवं दिशा निर्देश को पढ कर एवं समझ कर निविदा भरा है एवं आप उसके अनुरूप परिवहन कार्य करने के लिये सहमत है:–

हॉ / नही

13. क्या आपने मिथिला दुग्ध संघ को नियमित रूप से प्रतिदिन दूध परिवहन कार्य ठेका के शर्तों को मानते हुये गाड़ी उपलब्ध कराने हेतु सक्षम एवं तैयार है।

हॉ / नही

14. सफल निविदादाता का अग्रधन की राशि जमानत राशि के रूप में संघ में समायोजन कर रख ली जायेगी एवं असफल निविदादाता का अग्रधन राशि लौटा दी जायेगी। सफल निविदादाताओं द्वारा कार्य करने में असमर्थ होने पर अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।

गाड़ी का प्रकार	जमानत की राशि(रू0)
पिकअप / टाटा 407 / टाटा 709	25000 / –
टाटा(ए.सी.ई.)	20000 / –

"सत्यापन"

मैं सत्यापित करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा उपर प्रस्तुत सभी सूचनायें सत्य है यदि मेरी निविदा स्वीकार की जाती है तो अनुमोदित दर पर एकरारनामा एवं इसमें अंकित शर्तों को मानते हुये नियमित रूप से दुग्ध संग्रहण परिवहन कार्य ठेका के आधार पर करने के लिये तैयार हूँ।

दिनांक–

निविदादाता का पूरा हस्ताक्षर–

निविदादाता का नाम

अनुलग्नक:

1. चेक लिस्ट
2. निविदादाता द्वारा हस्ताक्षरित एकरारनामा की प्रति
3. पहचान पत्र की छाया प्रति (सरकार द्वारा मान्यता योग्य)
4. कम से कम छः माह का बैंक स्टेटमेंट (छः माह से अधिक पीछे अवधि का न हो)
5. गाड़ी का ऑनर बुक / रोड परमिट / फिटनेश / टैक्स जमा टोकन / इंश्योरेंश की कागजात
6. 1000 रू0 का गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर / पईया पेपर में पावर ऑफ एटोर्नी से संबंधित औथोराइज्ड एकरारनामा की मूल प्रति (यदि स्वयं की गाड़ी न हो)
7. पैन कार्ड की छाया प्रति
8. निविदा प्रपत्र मूल्य रू0 1000 / – मात्र एवं अग्रधन राशि 5000 / – का बैंक ड्राफ्ट (मूल रूप में)

मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0
समस्तीपुर डेयरी, औद्योगिक क्षेत्र, पो0– हरपुर एलौथ, जिला– समस्तीपुर– 848101
Tel : 06274 – 228013, 228012, Email: mithila.idis@gmail.com
Website: www.mithiladairy.com

दुग्ध संग्रहण परिवहन ठेका कार्य हेतु अनुमोदित
वित्तीय बीड प्रपत्र

निविदा सूचना संख्या............. तिथि–

01. निविदादाता का पूरा नाम :–

(क) स्थायी पता–
ग्राम .... पत्रालय – ....
पंचायत –............................ प्रखंड– ....
जिला – .... राज्य– ....

(ख) वर्तमान पता–
ग्राम .... पत्रालय – ....
पंचायत –............................ प्रखंड– ....
जिला – .... राज्य– ....

02. ईमेल आई0डी0 – ....मोबाईल नं0...

03. निविदित दर परिशिष्ट–01 में दर्शाये गये पथ के सामने अंकित किया/भरा जायेगा, जो स्वीकृत्यादेश की तिथि से दो वर्ष के लिये लागू रहेगा।

निविदादाता का हस्ताक्षर

<u>अनुलग्नकः</u> परिशिष्ट–01 में दुग्ध परिवहन पथों की विवरणी दी गयी है जिसमे आपके द्वारा दर भरा जाएगा ।

परिशिष्ट - 01

क्र0	पथ संख्या	पथ विवरणी कहाँ से	कहाँ तक	वाहन का प्रकार	दूरी लगभग दोनों मिलाकर	कैन की संख्या	दर रुपया प्रति कि0मी0	अभियुक्ति
1	1	ताजपुर बी0एम0सी0	खैडीमिल्की, सलोनी, वैनी, डोरापार दादपुर वापस ताजपुर बी0एम0सी0	पिकअप/ समतुल्य	108	50		
2	9	गरौती बी0एम0सी0	पकड़ीडीह बालापुर समिति वापस गरौती बी0एम0सी0	पिकअप/ समतुल्य	148	50		
3	3 ए	ब्रहमपुर बी0ए0सी0	बाजितपुर दानी टोल, भासिंगपुर, तेतारपुर, रामगामा एवं शिवना वापस ब्रहमपुर बी. एम.सी.	पिकअप— / समतुल्य	93	50		
4	4 सी	बस्तरी बी0एम0सी0	सुपौल भाया बिरनामा वापस बस्तरी बी0एम0सी0	पिकअप/ समतुल्य	64	50		
5	8 सी	फिरोजपुर पतैली बी0एम0सी0	बनघाड़ा, किशनपुर, बहादुरपुर अरमौली भाया गंगसारा सरायरंजन वापस फिरोजपुर पतैली बी0एम0सी0	पिकअप/ समतुल्य	118	50		
6	4 ए	दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	काले, दुधपुरा वापस दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	पिकअप/ समतुल्य	84	65		
7	4 ए—1	दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	भिरार से महुली वापस दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	पिकअप/ समतुल्य	102	65		
8	4 ए—2	मोरवाड़ा बी.एम. सी	मोरवाड़ा, बथान चौक, लिलहोल वापस मोरवाड़ा बी.एम.सी.	पिकअप/ समतुल्य	114	50		
9	4 बी	दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	बसंतपुर रमणी, भादोघाट वापस दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	पिकअप/ समतुल्य	125	65		
10	4 बी—1	दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	भटौरा मठ,शिवाजीनगर वापस दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	टाटा—407/ समतुल्य	96	65		
11	4 बी—2	दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	जाखर, सोनूपुर वापस दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	पिकअप/ समतुल्य	102	65		
12	20	दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	उजान, मोरकरी मोड़ वापस दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	टाटा 407/ समतुल्य	203	80		
13	20 बी	दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	गौड़ीडीह, बरैपुरा, मब्बी वापस दुग्ध शीतक केन्द्र रोसड़ा	पिकअप/ समतुल्य	86	50		
14	10	दरभंगा डेयरी	दोघरा चौक वापस दरभंगा डेयरी	टाटा407/ समतुल्य	192	65		
15	10 ए	कमतौल बी.एम. सी.	वाजितपुर वापस कमतौल बी. एम.सी.	टाटा407/ समतुल्य	160	65		

क्र0	पथ संख्या	पथ विवरणी		वाहन का प्रकार	दूरी लगभग दोनों मिलाकर	कैन की संख्या	दर रुपया प्रति कि०मी०	अभियुक्ति
		कहाँ से	कहाँ तक					
16	10 बी	दरभंगा डेयरी	कोरा वापस दरभंगा डेयरी	टाटा407/ समतुल्य	198	65		
17	11	दरभंगा डेयरी	रामपुर कंसी वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप/ समतुल्य	190	50		
18	11 ए	दरभंगा डेयरी	खरारी भरवारी हायाघाट वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप/ समतुल्य	164	50		
19	11 बी	कमरगामा बी. एम.सी.	नेयाम, मनिकौली वापस कमरगामा बी.एम.सी.	पिकअप/ समतुल्य	90	50		
20	11 सी	दरभंगा डेयरी	गोढैला वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप/ समतुल्य	140	50		
21	11 डी	दरभंगा डेयरी	कमलपुर, पंचोभ वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप/स मतुल	85	50		
22	13	बिठौली बी.एम. सी.	सरहिल्ला चौक मन्नुपुरखर्रा वापस बिठौली बी.एम.सी.	पिकअप/ समतुल्य	152	50		
23	13 ए	बिठौली बी.एम. सी.	ददरवाड़ा वापस बिठौली बी. एम.सी.	पिकअप/ समतुल्य	124	50		
24	14	कहुआ बी.एम. सी.	चकला, सुहथ भाया पिपड़ा वापस कहुआ बी.एम.सी.	पिकअप/ समतुल्य	156	50		
25	31	दरभंगा डेयरी	चक्का लहवार भाया अंदामा वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप/ समतुल्य	150	50		
26	32	झिलोरिया बी. एम.सी.	सिमरी, कुशेश्वर स्थान वापस झिलोरिया बी.एम.सी.	पिकअप/ समतुल्य	106	50		
27	34	दरभंगा डेयरी	बहेड़ा भाया गैवाल वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप/ समतुल्य	164	50		
28	35	महवा बी.एम.सी.	कोनीघाट वापस महवा बी. एम.सी	पिकअप/ समतुल्य	90	50		
29	36	झिलोरिया बी. एम.सी.	पलवा वापस झिलोरिया बी. एम.सी.	पिकअप/ समतुल्य	150	50		
30	37	झिलोरिया बी. एम.सी.	जमालपुर वापस झिलोरिया बी.एम.सी.	पिकअप/ समतुल्य	200	50		
31	38	दरभंगा डेयरी	पुरुषोतमपुर वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप/ समतुल्य	171	50		
32	43	कमतौल बी.एम. सी.	भगवतीपुर वापस कमतौल बी. एम.सी.	पिकअप/ समतुल्य	123	50		
33	44	कहुआ बी.एम.सी.	देवना, तारडीह वापस कहुआ बी.एम.सी.	पिकअप/ समतुल्य	206	50		
34	32 ए	झिलोरिया बी0एम0सी0	तिलकेश्वर, विशनीया पूर्वी हरिनाही, वापस झिलोरिया बी0एम0सी0	पिकअप/ समतुल्य	108	50		

क्र0	पथ संख्या	पथ विवरणी		वाहन का प्रकार	दूरी लगभग दोनों मिलाकर	कैन की संख्या	दर रुपया प्रति कि०मी०	अभियुक्ति
		कहाँ से	कहाँ तक					
35	46	दरभंगा डेयरी	अमताही विधिपुर नवादा वापस दरभंगा डेयरी	पिकअप / समतुल्य	238	50		
36	13+24	महवा बी.एम.सी.	काकर, लक्ष्मिनिया वापस महवा बी.एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	120	50		
37	13+24 ए	महवा बी.एम.सी.	उसरी, इनाई वापस महवा बी. एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	80	50		
38	26	उमगांव बी.एम. सी.	बरहा वापस उमगांव बी.एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	188	50		
39	28	उमगांव बी.एम. सी.	पलिगोठ वापस उमगांव बी.एम. सी.	पिकअप / समतुल्य	198	50		
40	29	उमगांव बी.एम. सी.	सेलर वापस उमगांव बी.एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	196	50		
41	20 डी	इधैल, रजबाड़ा, डुमरा वापस रामपुर बी.एम.सी.	मुसहनियाँ से वापस सिमरा बी. एम.सी.	टेम्पु	72	20		
42	12	दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	सिंघासो मलंगिया वापस दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	पिकअप / समतुल्य	190	50		
43	12 ए	दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	रथौस, भोजपंडौल वापस दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	पिकअप / समतुल्य	156	50		
44	22	दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	चतरा से कालीकापुर नवटोली वापस दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	पिकअप / समतुल्य	152	50		
45	23	दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	ओलीपुर वापस दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	पिकअप / समतुल्य	155	50		
46	33	दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	बिरौल से एकतारा वापस दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	पिकअप / समतुल्य	170	50		
47	40	दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	गिधवास वापस दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	पिकअप / समतुल्य	180	50		
48	45	दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	मेधौल से नरपतिनगर वापस दुग्ध शीतक केन्द्र मधुबनी	पिकअप / समतुल्य	162	50		
49	16	सिमरा बी.एम.सी.	नवहथ से बटुरी वापस सिमरा बी.एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	204	50		
50	16 ए	सिमरा बी.एम.सी.	राधिकापुर वापस सिमरा बी.एम. सी.	पिकअप / समतुल्य	205	50		
51	27	सिमरा बी.एम.सी.	रूद्रपुर, बेलही वापस सिमरा बी. एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	138	50		
52	30	सिमरा बी.एम.सी.	रौआही वापस सिमरा बी.एम.सी.	पिकअप / समतुल्य	233	50		
53	39	सिमरा बी.एम.सी.	दोनवारी वापस सिमरा बी.एम. सी.	पिकअप / समतुल्य	232	50		

क्र0	पथ संख्या	पथ विवरणी		वाहन का प्रकार	दूरी लगभग दोनों मिलाकर	कैन की संख्या	दर रुपया प्रति कि०मी०	अभियुक्ति
		कहाॅ से	कहाॅ तक					
54	48	सिमरा बी.एम.सी.	मुसहरनियाॅ से वापस सिमरा बी.एम.सी.	पिकअप/समतुल्य	164	50		

अधोहस्ताक्षरी को विना कारण बताए प्राप्त निविदा को पूर्ण/आंशिक रूप से रद्द/स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

प्रबन्ध निदेशक

1000/– रू0 नन–जुडिशियल स्टाम्प, पईया/इक्सक्यूटिव पेपर पर

दुग्ध परिवहन हेतु एकरारनामा

यह एकरारनामा आज दिनांक .... को मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, समस्तीपुर डेयरी जिसका कार्यालय औद्यौगिक क्षेत्र, पोस्ट – हरपुर एलौथ, समस्तीपुर में अवस्थित है, की तरफ से प्रबन्ध निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रथम पक्ष के रूप में जिसे आगे **"दुग्ध संघ"** से संबोधित किया जायेगा तथा दूसरा पक्ष श्री .... (गाड़ी मालिक का नाम) पिता/पति.. ग्राम .... पो0.................. ....थाना .... जिला .... के स्थायी निवासी हैं तथा जिनका पत्राचार का पता .... दूरभाष/मोबाईल संख्या........... .... जिसे आगे **"संवेदक"** से संबोधित किया जायेगा के बीच सम्पादित किया जाता है ।

दुग्ध संघ द्वारा दिनांक .... से .... की अवधि के लिए गॉव स्तर पर दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों से संग्रहित कच्चे दूध को ....(डेयरी/शीतक केन्द्र/बल्क मिल्क कूलर का नाम) जो दुग्ध संघ की एक इकाई है, तक परिवहन करने तथा समितियों को जॉच सामान, दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए विभिन्न सामग्रियों का परिवहन कराने के उद्देश्य से नियुक्त संवेदक को कार्यादेश संख्या .... दिनांक .... निर्गत किया गया है जिसे संवेदक द्वारा स्वीकार किया गया है । उक्त निर्गत कार्यादेश में अंकित सभी शर्तें एकरारनामा के शर्तों का हिस्सा समझा जायेगा जिसे दोनों पक्ष मानने के लिए सहमत हैं ।

दोनों पक्षों द्वारा एकरारनामा में उद्धृत क्रमांक 01 से 30 में अंकित सभी शर्तों को पूर्णरूप से पढ़कर, समझकर एवं बिना किसी दवाब के उपरोक्त अंकित तिथि को नीचे अंकित साक्षी की उपस्थिति में अनुबंध किया गया –

हस्ताक्षर (दुग्ध संघ के प्रतिनिधि)	हस्ताक्षर (संवेदक)
उपस्थिति में (पूर्ण पता सहित)	उपस्थिति में (पूर्ण पता सहित)
01.	01.
02.	02.

दुग्ध परिवहन एकरारनामा की शर्तें

01. यह एकरारनामा दिनांक .... से .... अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। एकरारनामा अवधि की समाप्ति के पश्चात अधिकतम तीन माह के लिए अवधि विस्तार का अधिकार **"दुग्ध संघ"** को होगा जिसे **"संवेदक"** मानने के लिए बाध्य होंगे । अवधि विस्तार के दौरान सभी शर्तें पूर्ववत लागू रहेगी। पुनः आपसी सहमति के आधार पर कार्य अवधि का विस्तार अधिकतम 1 वर्षों तक किया जायेगा जिसके लिए एकरारनामा करना होगा।

02. एकरारनामा अवधि के दौरान एकरारनामा समाप्त करने हेतु दुग्ध संघ द्वारा कम से कम तीस दिन पूर्व सूचना संवेदक को दिया जायेगा जबकि संवेदक को उक्त स्थिति में न्युनतम तीस दिन पूर्व लिखित सूचना दुग्ध संघ को दिया जाना आवश्यक होगा ।

अत्यंत ही विशेष परिस्थिति जिसमें दुग्ध संघ को ऐसा महसूस होता है कि संवेदक के जारी रहने से दुग्ध समिति/दुग्ध संघ को आर्थिक नुकसान होगी तो वैसी परिस्थिति में दुग्ध संघ द्वारा चौबीस घंटे पूर्व लिखित सूचना देकर एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। इस तरह की सूचना पंजीकृत पत्र निर्गत की तिथि से ही संवेदक को प्राप्त माना/समझा जायेगा ।

03. एकरारनामा के पूर्व दुग्ध संघ द्वारा निर्गत कार्यादेश के अनुसार एकरारनामा के दिये गये शर्तों के परिपालन के एवज में संवेदक द्वारा जमानत राशि .... (..) रू0 दुग्ध संघ में जमा किया गया जिसपर किसी तरह का ब्याज देय नहीं होगा ।

एकरारनामा की समाप्ति के पश्चात् (अवधि समाप्ति अथवा संवेदक द्वारा वैध नोटिस दिये जाने के कारण) संवेदक द्वारा सभी समितियों के सचिव द्वारा निर्गत एवं संघ/शीतक केन्द्र के भंडार से **"बकाया नहीं प्रमाण पत्र"** प्रस्तुत करने के पश्चात सभी वसूलनीय राशि की कटौती के पश्चात् (यदि कोई हो तो) तीन माह के अंदर जमानत राशि का भुगतान संघ द्वारा किया जायेगा । संवेदक की सुविधा के लिए संवेदक के कार्य समाप्ति की सूचना दुग्ध संघ के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा सभी समितियों को 15 दिन का समय देते हुए बकाया सम्बन्धी दावा प्रस्तुत करने का लिखित निर्देश निर्गत करेगा इसके अतिरिक्त एकरारनामा में उद्धृत शर्तों के आधार पर जमानत राशि के भुगतान के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार दुग्ध संघ को सुरक्षित रहेगा ।

04. दुग्ध संघ द्वारा समय-समय पर निर्गत समय-सारणी के अनुसार सुबह तथा शाम पाली में दूध सहित केन समितियों से प्राप्त कर दुग्ध संघ (डेयरी/शीतक केन्द्र/बल्क कूलर समिति) तक परिवहन की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। निर्धारित समय से विलम्ब से दूध पहुँचाने के कारण समितियों से प्राप्त दूध के खट्टा या दही हो जाने से समितियों को हुए पूर्ण क्षति की कटौती संवेदक के विपत्र से की जायेगी ।

05. दुग्ध संघ से प्राप्त खाली केन, समिति को संबोधित पत्र, एसीड, अल्कोहल, पशु आहार, पशु स्वास्थ्य संबंधी सामग्री, हरा चारा बीज इत्यादि संघ द्वारा निर्गत सभी सामान संबंधित समितियों को देने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। उसी प्रकार समितियों से प्राप्त सभी सामान (केन सहित कच्चे दूध के अतिरिक्त) जैसे – मॉग-पत्र, पत्र, एसीड, अल्कोहल का खाली जार इत्यादि प्रत्येक पाली में दुग्ध संघ के गेट पर जमा करने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी । परिवहन के दौरान सामान के टूट-फूट, खोने, मात्रा की कमी, गुणवत्ता में अंतर इत्यादि कारणों से समिति/दुग्ध संघ को हुई क्षति की कटौती संवेदक से की जायेगी ।

06. संवेदक द्वारा प्रत्येक पाली (सुबह/शाम) का ट्रक-शीट उसके अगले पाली में (सुबह पाली का ट्रक-शीट शाम पाली में तथा शाम पाली का ट्रक-शीट सुबह पाली में) संबंधित समितियों के प्रतिनिधि (सचिव, टेस्टर, भारवाहक) को हस्तगत कराना होगा । सामान्य परिस्थिति में संघ द्वारा प्रत्येक दिन सुबह पाली का ट्रक-शीट उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे तक तथा रात्रि पाली का ट्रक-शीट अगले तारीख के सुबह चार बजे उपलब्ध कराया जायेगा।

इसके अतिरिक्त संवेदक संघ द्वारा प्रत्येक पाली में निर्गत ट्रक-शीट के पीछे सभी समिति के प्रतिनिधि से उनके द्वारा आपूर्ति भरे केन की संख्या, दूध की मात्रा, आपूर्ति खाली जार की संख्या की प्रविष्टि करायेंगे या स्वंय करेंगे। चालक द्वारा हस्ताक्षरित भरे हुए ट्रक-शीट दूध तौल के पूर्व कार्यरत पाली प्रभारी को सौपेंगे। उपरोक्त शर्तों के अनुपालन नहीं होने के स्थिति में संघ द्वारा प्रति पाली 250/- (दो सौ पचास) रू0 की दर से जुर्माना करने का अधिकार संघ को सुरक्षित रहेगा।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

07. मुख्य पथ से अगर शटल पथ जुड़ा हो तो, शटल पथ के परिवहन संवेदक को खाली केन, पत्र, ट्रक–शीट, पशु आहार, एसीड, अल्कोहल, पशु स्वास्थ्य संबंधी सामग्री, हरा चारा एवं अन्य सामग्री निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार मुख्य पथ के संवेदक को सौपनी होगी। सामग्री जिस अवस्था में दुग्ध संघ (डेयरी/शीतक केन्द्र) से प्राप्त करेंगे शटल पथ के संवेदक को भी समितियों से प्राप्त उपरोक्त अंकित सभी सामान को ठीक उसी अवस्था में मुख्य पथ के संवेदक को सौंपना होगा। सामग्रियों के लेन–देन से संबंधित पंजी का संधारण दोनों संवेदकों को करनी होगी तथा सामान टूट–फूट, नुकसान की स्थिति में हुई क्षति की वसूली संबंधित संवेदक से किया जायेगा।

08. मुख्य पथ से अगर शटल पथ जुड़ा हो तो, शटल पथ के परिवहन संवेदक को खाली केन, पत्र, ट्रक–शीट, पशु आहार, एसीड, अल्कोहल, पशु स्वास्थ्य संबंधी सामग्री, हरा चारा एवं अन्य सामग्री निर्धारित समय–सारणी के अनुसार मुख्य पथ के संवेदक को सौपनी होगी। सामग्री जिस अवस्था में दुग्ध संघ (डेयरी/शीतक केन्द्र) से प्राप्त करेंगे शटल पथ के संवेदक को भी समितियों से प्राप्त उपरोक्त अंकित सभी सामान को ठीक उसी अवस्था में मुख्य पथ के संवेदक को सौंपना होगा। सामग्रियों के लेन–देन से संबंधित पंजी का संधारण दोनों संवेदकों को करनी होगी तथा सामान टूट–फूट, नुकसान की स्थिति में हुई क्षति की वसूली संबंधित संवेदक से किया जायेगा।

09. मुख्य पथ एवं शटल पथ के संवेदक द्वारा किसी कारणवश समितियों से प्राप्त दूध एवं अन्य सामग्री परिवहन कर दुग्ध संघ तक नहीं ला पाने की स्थिति में हुई क्षति की कटौती संवेदक से किया जायेगा। परिवहन गाड़ी खराब या अन्य किन्हीं कारणों से दूध परिवहन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करने की सम्पूर्ण जिम्मेवारी संवेदक की होगी ।

10. किसी कारणवश परिवहन संवेदक समिति का दूध एवं अन्य सामग्री छूट समय के साथ/निर्धारित समयानुसार परिवहन करने में असफल होता है, तो वैसी परिस्थिति में मुख्य पथ एवं शटल पथ की समितियों के दूध के खट्टा/दही होने से हुई क्षति की पूर्ण कटौती संवेदक के विपत्र से कटौती कर समिति को भुगतान की जायेगी।

11. शटल पथ के संवेदक, समितियों से संबंधित दूध कैन एवं अन्य सामग्री मुख्य पथ के संवेदक को निर्धारित समय–तालिकानुसार निर्धारित स्थान पर सौपने में असफल होने की स्थिति में शटल पथ के संवेदक को दुग्ध संघ तक दूध केन एवं अन्य सामग्री पहुँचाना होगा, परंतु उन्हें अतिरिक्त तय की गई दूरी का भाड़ा का भुगतान नहीं होगा । समिति एवं संघ को इसके कारण हुई क्षति की कटौती शटल पथ के संवेदक के विपत्र से की जायेगी । ऐसी स्थिति में मुख्य पथ के संवेदक को उसी दिन तथा पाली में दुग्ध संघ को लिखित सूचना देनी होगी जिसमें शटल पथ की गाड़ी निर्धारित समय पर नहीं पहुँचने का उल्लेख हो । दुग्ध संघ या समिति द्वारा आपूर्ति किये गये सामान के अतिरिक्त संवेदक द्वारा पैसेंजर या अन्य सामग्री ढ़ोने का कार्य परिवहन में संलग्न गाड़ी द्वारा नहीं किया जायेगा । उक्त शर्तों के उल्लंघन करते पाये जाने पर प्रथम बार उस पाली अर्थात एक पाली का विपत्र संघ द्वारा कटौती कर लिया जायेगा । उक्त शर्तों के उल्लंघन की पुनरावृति होने की स्थिति में एकरारनामा रद्द करने तथा पूर्ण जमानत की राशि जप्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा ।

12. दूध परिवहन के दौरान संघ में कार्यरत कर्मचारी एवं पदाधिकारियों (प्रबन्ध निदेशक, प्रबन्धक, उप प्रबन्धक, चारा विकास पदाधिकारी, सहायक प्रबन्धक, दुग्ध संग्रहण पदाधिकारी, वरीय पर्यवेक्षक, सहायक पर्यवेक्षक, प्रापण सहायक, डेयरी कर्मी) इत्यादि को परिवहन गाड़ी जॉच करने का अधिकार होगा। परिवहन, मात्रा या गुणवत्ता की समस्या के कारण समिति के सचिव अथवा अध्यक्ष परिवहन गाड़ी से आवागमन कर सकेंगे। उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु संवेदक को पूर्ण सहयोग करना होगा। दुग्ध परिवहन के दौरान किसी अनाधिकृत व्यक्ति को गाड़ी पर नहीं चढ़ायेंगे तथा परिवहन गाड़ी पर अन्य सामान का परिवहन नहीं करेंगे। ऐसा पाये जाने पर प्रति केस रू0 500.00 (रूपये पाँच सौ) तक आर्थिक जुर्माना किया जायेगा।

13. परिवहन संवेदक की जिम्मेवारी होगी की गाड़ी पर न्यूनतम मिडिल पास व्यवहार–कुशल एवं गाड़ी परिचालन संबंधी **अनुज्ञा–पत्रधारी** चालक के अतिरिक्त एक **कुशल खलासी** केन लोडिंग तथा अनलोडिंग हेतु अपने खर्च पर रखेंगे। गाड़ी के साथ गाड़ी का ऑनर–बुक, बीमा संबंधी कागजात, परिवहन नियमावली के तहत सभी कागजातों को रखेंगे ।

14. दूध पथ में पड़ने वाले समिति (सभी अथवा आंशिक रूप से) या पूरे दूध पथ को स्थायी अथवा अस्थायी रूप से दूध संग्रहण बंद करने का अधिकार दुग्ध संघ को पूर्ण रूप से सुरक्षित होगा। दुग्ध संघ द्वारा इस आशय की लिखित सूचना संवेदक को दिया जायेगा । समिति अथवा दुग्ध पथ को स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बंद होने के कारण संवेदक को किसी प्रकार का हर्जाना, क्षतिपूर्ति (यदि हो तो) दुग्ध संघ द्वारा देय नहीं होगा। **दूध पथ की दूरी में वृद्धि या कमी करने का पूर्ण अधिकार दुग्ध संघ को सुरक्षित रहेगा। संवेदक को वास्तविक तय की गई दूरी के आधार पर दुग्ध संघ द्वारा भुगतान किया जायेगा** ।

हस्ताक्षर हस्ताक्षर

15. संवेदक की गाड़ी पर कार्यरत चालक, खलासी अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा परिवहन के दौरान या दुग्ध संघ परिसर में दूध की चोरी करते हुए अथवा हेरा–फेरी करते हुए पकड़े जाने पर संवेदक के एकरारनामा निरस्त करते हुए जमानत राशि जप्त कर परिवहन कार्य से मुक्त करने की कार्रवाई की जायेगी तथा परिवहन कार्यक्षेत्र में पड़ने वाली सभी समितियों का घटना की तिथि से एक माह पूर्व में हुई सभी क्षति (दूध की मात्रा तथा गुणवत्ता) की कटौती निम्नदर से की जायेगी :–

दूध– 50.00 रू0 प्रति लीटर

अथवा वर्तमान दुग्ध क्रय मुल्य तालिका के अनुरूप या जो अधिक हो

संघ द्वारा जॉच के उपरांत अन्य परिस्थितियों में भी मात्रा तथा गुणवत्ता से संबंधित कटौती उपरोक्त दर से की जायेगी।

16. कमांक–14 में अंकित कटौती के अतिरिक्त समिति से प्राप्त सामान अथवा संघ द्वारा आपूर्ति किये गए सामान के खोने, चोरी करते हुए पकड़े जाने तथा समिति को आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा निम्नलिखित दर से परिवहन संवेदक से राशि की वसूली की जायेगी –

कैन ढ़क्कन सहित (अल्यु0)	–	6500.00 रू0 प्रति अदद
कैन ढक्कन सहित (स्टील)	–	5000.00 रू0 प्रति अदद
कैन लीड (अल्यु0)	–	1000.00 रू0 प्रति अदद
कैन लीड (स्टील)	–	800.00 रू0 प्रति अदद
जार 10 ली0 (प्लास्टिक)	–	500.00 रू0 प्रति अदद
जार 2 ली0 (प्लास्टिक)	–	200.00 रू0 प्रति अदद
सुपर सुधा पशु आहार	–	28.00 रू0 प्रति किलो

इसके अतिरिक्त जिन सामग्री का दर अंकित नहीं किया गया है उन सामग्रियों की कटौती संघ द्वारा समिति को आपूर्ति दर से 20 प्रतिशत अधिक दर से की जायेगी। संघ का साख खराब होने की स्थिति में रू0 5000/– जुर्माना भी किया जायेगा।

17. संवेदक की जिम्मेवारी होगी की गाड़ी पर व्यवहार–कुशल चालक तथा खलासी रखें । समिति अथवा संघ के सेवकों के साथ दुर्व्यवहार अथवा चोरी, दूध की हेरा–फेरी करते हुए पकड़े जाने वाले चालक अथवा खलासी को दुग्ध संघ द्वारा लिखित सूचना प्राप्ति के पश्चात् उस कर्मचारी (चालक/खलासी) को हटाने की बाध्यता संवेदक की होगी । संघ द्वारा पूर्व में हटाये गये चालक/खलासी भले हीं वे पूर्व में किसी अन्य संवेदक के साथ संलग्न हों उन चालक तथा खलासी को किसी भी संवेदक द्वारा नहीं रखा जायेगा। कार्यालय के सामान्य प्रशासन के तहत चालक तथा खलासी को उचित ड्रेस में परिवहन कार्य तथा परिसर में आने के लिए संवेदक सुनिश्चित करेंगे। संवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि चालक तथा खलासी लुंगी पहनकर परिसर में न आयें । परिवहन संवेदक, चालक, खलासी का पहचान पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

18. संवेदक अथवा उनके प्रतिनिधि चालक/खलासी किसी ऐसे कारनामें में शामिल अथवा सम्बद्ध होते हैं जिससे दुग्ध संघ की छवि खराब होती है वैसी स्थिति में संघ द्वारा परिवहन एकरारनामा तत्काल रद्द कर दिया जायेगा तथा जमानत राशि जब्त कर लिया जायेगा ।

19. समितियों से आपूर्ति दूध का भारवाहक पर्ची/ चालान प्रतिदिन प्राप्त करने एवं डेयरी डॉक पर देने की जिमेम्वारी परिवहन संवेदक की होगी। दूध की कमी होने पर परिवहन संवेदक के विपत्र से कटौती की जायेगी।

20. दुग्ध परिवहन की गाड़ी परिसर में प्रवेश के समय मुख्य गेट पर रूकेगी जहॉ सुरक्षा प्रहरी द्वारा केन की गिनती की जायेगी । संवेदक के प्रतिनिधि समिति से प्राप्त पत्र, समान प्राप्ति रसीद सभी समान सुरक्षा प्रहरी को सुपुर्द करेंगे तथा पंजी में प्रविष्टि कर अपना हस्ताक्षर प्रमाण स्वरूप करेंगे । उसी प्रकार वापसी में निर्गत समान, पत्र इत्यादि दुग्ध संघ से प्राप्त कर अपना हस्ताक्षर करेंगे । डेयरी परिसर में अधिकतम 10 किलोमीटर/घंटा की गति से गाड़ी चलाया जायेगा। डेयरी डॉक पर संवेदक के प्रतिनिधित द्वारा व्यवस्थति रूप से भरे केन का अनलोडिंग किया जायेगा। अनलोडिंग के पश्चात उचित जगह पर एवं व्यवस्थित रूप से गाड़ी को पार्क करेंगे जिससे अन्य गाड़ी के परिचालन में असुविधा नहीं हो। वापसी में ट्रक–शीट प्राप्ति के पूर्व भंडार/कृत्रिम गर्भाधान शाखा के भंडार समिति के मॉग के अनुसार सभी समान प्राप्त करने की जिम्मेवारी संवेदक के प्रतिनिधि की होगी । उक्त शर्तों के पालन नहीं करने पर अधिकतम प्रति केस 1000.00 (एक हजार) रू0 का जुर्माना किया जायेगा ।

21. परिवहन संवेदक की पूर्ण जिम्मेवारी होगी की अपने खर्च पर दूध परिवहन गाड़ी में स्थायी तौर पर हवादार छतरी की व्यवस्था कर आदेश निर्गत की तिथि से 10 दिन के अन्दर संसूचित करना होगा । उक्त व्यवस्था के संदर्भ में संसूचित नहीं करने की स्थिति में आदेश रद्द किया जा सकता है।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

22. दुग्ध संघ द्वारा संवेदक को अपने पथ के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर अन्य पथों में स्पेशल ट्रीप लगाने हेतु निर्देश दिया जा सकता है जिसका परिपालन संवेदक की बाध्यता होगी । इस कार्य हेतु संवेदक को उनके पथ के लिए स्वीकृत दर के आधार पर वास्तविक तय की गई दूरी का भुगतान किया जायेगा ।

23. एकरारनामा अवधि के दौरान संवेदक द्वारा कार्यादेश में अंकित गाड़ी द्वारा ही दूध परिवहन का कार्य करेंगे। गाड़ी के खराब होने की स्थिति में उक्त शर्त संघ द्वारा शिथिल किया जायेगा, परंतु इस आशय की लिखित सूचना संवेदक को दुग्ध संघ को देनी होगी जिसमें नियमित गाड़ी के बदले अन्य गाड़ी द्वारा परिवहन कार्य करने का गाड़ी नम्बर तथा अवधि का उल्लेख हो। उक्त अवधि के दौरान संवेदक की जिम्मेवारी होगी कि नियमित गाड़ी के स्थान पर नयी गाड़ी पर उनके नियमित चालक/खलासी गाड़ी पर रहे जिससे समिति/दुग्ध संघ को कोई दिक्कत नहीं हो। दुग्ध संघ समिति तथा संवेदक के बीच आपसी ताल–मेल रहे इसके लिए आवश्यक है कि संवेदक द्वारा स्थायी चालक तथा खलासी को रखें। परिवहन कार्य तथा दुग्ध संघ से समान प्राप्ति हेतु संवेदक द्वारा संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में फोटोयुक्त पहचान पत्र निर्गत किया जायेगा। संवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि चालक तथा खलासी प्रत्येक दिन दोनों पालियों में परिवहन के दौरान अपने पास पहचान पत्र रखे तथा गेट, प्लान्ट या भंडार में माँगे जाने पर प्रस्तुत करे। <u>बिना पहचान पत्र धारण किये "चालक तथा खलासी" को परिसर में प्रवेश वर्जित रहेगा</u>। इसके कारण हुई किसी क्षति की जिम्मेवारी संवेदक की होगी।

24. रात्रि पाली में समितियों से संग्रहित दूध का डेयरी परिसर में पहुँचाने के बाद संवेदक द्वारा अपने चालक एवं खलासी के सोने की व्यवस्था परिसर के बाहर करनी होगी । किसी भी परिस्थिति में चालक तथा खलासी को परिसर के अंदर सोने नहीं दिया जायेगा । संवेदक यदि चाहें तो रात्रि पाली में दूध सुपूर्द करने के पश्चात गाड़ी परिसर से बाहर ले जा सकते हैं, परंतु साफ केन, समान, ट्रक–शीट इत्यादि की आपूर्ति निर्धारित समय पर हीं की जायेगी जिसे संवेदक को प्राप्ति के लिए गाड़ी को पुनः परिसर में लाना होगा। चालक/खलासी को रात्रि पाली में परिसर में सोते पाये जाने की स्थिति में एक मुश्त 1000.00 (एक हजार) रू0 का जुर्माना किया जायेगा ।

25. रात्रि पाली में दूध परिवहन गाड़ी डेयरी परिसर में नहीं रखा जाएगा। डेयरी परिसर में पाये जाने पर प्रति रात्रि के लिए रू0 500/– जुर्माना लगाया जायेगा।

26. एकरारनामा अवधि के दौरान अगर परिवहन संवेदक दूध परिवहन हेतु गाड़ी भेजने में असफल होते हैं तो वैसी स्थिति में संवेदक की पूर्ण जिम्मेवारी एवं खर्च पर दूसरी गाड़ी की व्यवस्था करने का अधिकार दुग्ध संघ को सुरक्षित रहेगा। उक्त व्यवस्था के तहत गाड़ी मालिक को संघ द्वारा किये गये वास्तविक भाड़ा तथा उस अवधि में विभिन्न कारणों से समिति/दुग्ध संघ को हुई आर्थिक क्षति की कटौती परिवहन संवेदक से की जायेगी। क्षति का पूर्ण समायोजन विपत्र से नहीं होने की स्थिति में संघ में जमा जमानत राशि कटौती की जायेगी ।

27. दुग्ध संघ द्वारा परिवहन भाड़ा के भुगतान हेतु संवेदक को दो प्रति में नीचे अंकित तिथियों को विपत्र प्रस्तुत करना होगा –

<u>अवधि</u>		<u>विपत्र जमा करने की तिथि</u>
01 से 15 तारीख	–	17 तारीख तक
16 से माह के अंतिम तिथि तक	–	02 तारीख तक

परिवहन संवेदक उक्त निर्धारित तिथ को उस पथ के पथ प्रभारी को विपत्र के सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगें । परिवहन संवेदक के उक्त निर्धारित तिथि को विपत्र प्रस्तुतीकरण के **<u>बारह दिनों</u>** के अंदर दुग्ध संघ द्वारा बैंक के माध्यम से आवश्यक कटौती (समिति दावा, क्षति, आयकर इत्यादि) के पश्चात भुगतान किया जायेगा। संघ द्वारा मात्र नीचे अंकित बैंक शाखा का चेक द्वारा भुगतान किया जायेगा

<u>समस्तीपुर</u> – सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया – मुख्य शाखा।
दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, शाखा – हरपुर एलौथ।
ड्रिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक, शाखा – ताजपुर।

<u>रोसड़ा</u> – दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, शाखा – रोसड़ा।

<u>दरभंगा/मधुबनी</u> – इंडियन ओवरसीज बैंक, शाखा – दरभंगा।

अतः संवेदक अपनी सुविधा के अनुसार उक्त शाखाओं में अपना खाता खुलवाने की व्यवस्था करेंगे।

परिवहन संवेदक को किसी तरह का अग्रिम देय नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में विपत्र के विरूद्ध 15 प्रतिशत ब्याज की दर से अग्रिम का भुगतान किया जा सकता है, परंतु अग्रिम के भुगतान पर परिवहन संवेदक का कोई अधिकार नहीं होगा।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

28. दर परिवर्तन : कुल मिलाकर डीजल के मूल्य में वृद्धि अथवा कमी दो रूपया या उससे अधिक होने की दशा में अगस्त 2024 के माह में डीजल का दर रू0 92.34 को आधार मानते हुए निर्धारित दर वर्ष में तीन वार कमशः 01 जनवरी ,01 मई एवं 01 सितम्बर से चार–चार माह के अन्तराल पर परिवर्तनीय होगा। वर्ष में डीजल दर 30 अप्रैल,31 अगस्त एवं 31 दिसम्बर को आधार माना जायगा ।परिवर्तन के फलस्वरूप दर संशोधन हेतु डीजल की खपत प्रति लीटर जीप, पीकअप भान के लिए 10 कि0मी0, टाटा– 407 के लिए 08 कि0मी0, टाटा 709 के लिए 06 कि0मी0 मानकर गणना की जायेगी। तथापि दर संशोधन तबतक नहीं होगा जबतक आधार दर में परिवर्तन दो रूपया या उससे कम/अधिक नहीं होगा। संशोधित दर उसके अगले भुगतान अवधि से लागू होगा।

29. जिला प्रशासन द्वारा चुनाव के दौरान, चुनाव कार्य में लगाने हेतु परिवहन गाड़ी की मॉग की जाती है। वैसी स्थिति में संवेदक की बाध्यता होगी कि दुग्ध संघ के लिखित निर्देश पर चालक सहित गाड़ी जिला प्रशासन को उपलब्ध करायें। इस कार्य के लिए जिला प्रशासन द्वारा नियमानुसार देय भुगतान की प्राप्ति संवेदक द्वारा सीधे प्राप्त की जायेगी।

30 .उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार के विवाद इस अनुबंध के तहत प्रावधानों, व्याख्याओं, अधिकारों, उत्तरदायित्वों, जिम्मेवारियों, वसूली के सम्बन्ध में उत्पन्न होती है तो वैसी स्थिति में **प्रबन्ध निदेशक या उनके प्रतिनिधि बिहार स्टेट मिल्क को–ऑपरेटिव फेडरेशन (काम्फेड),** पटना के प्रतिनिधि एकमात्र मध्यस्थ होगें तथा उनके द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्ष को मान्य होगा। किसी न्यायिक कार्रवाई का क्षेत्र 'समस्तीपुर कोर्ट' होगा।

हस्ताक्षर (दुग्ध संघ प्रतिनिधि)	हस्ताक्षर (संवेदक)

बन्ध –पत्र

हमलोग

01. श्री .... पिता श्री ....
उम्र.................. पूरा पता ....
.... व्यवसाय ....

02. श्री .... पिता श्री ....
उम्र.................. पूरा पता ....
.... व्यवसाय .... अपने आपको श्री ....
.... श्री पूरा पता .... जिन्हें अब आगे **परिवहन संवेदक** कहा जायेगा, का जमानतदार घोषित करते हैं तथा यह जमानत देते हैं कि परिवहन संवेदक द्वारा दिनांक ....को मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 जिसे अब आगे **"दुग्ध संघ"** कहा जायेगा के साथ सम्पादित एकरारनामा के अनुरूप सभी शर्तों का पालन करते हुए परिवहन कार्य सम्पादित करेंगे। हम यह भी जमानत देते हैं कि अगर परिवहन संवेदक द्वारा किसी प्रकार गबन अथवा एकरारनामा की शर्तों का उल्लंघन के कारण कोई क्षति होगी तो हम दोनों दस–दस हजार रूपया की राशि तक की क्षतिपूर्ति स्वरूप संघ को भुगतान करेंगे । हम यह भी सहमति देते हैं कि संघ उपरोक्त जमानत की राशि किसी अन्य श्रोत अथवा परिवहन संवेदक से वसूली करने के बजाए हमसे वसूली कर सकती है । हमसे की गई उक्त राशि की वसूली इस बात से प्रभावित नहीं होगी कि संघ ने परिवहन संवेदक से वसूली हेतु प्रयास किया है अथवा नहीं। हम यह भी सहमति देते हैं कि परिवहन संवेदक से एकरारनामा की शर्तों में संशोधन/परिवर्तन होने पर हम दोनों जमानती ऋण की बाध्यता से विमुक्त नहीं होते हैं। हम लोगों ने दुग्ध संघ और परिवहन संवेदक के बीच सम्पादित एकरारनामा को पढ़कर समझ लिया है। हम दोनों का दायित्व परिवहन संवेदक के प्रति व्यक्तिगत एवं संयुक्त रूप से होगा ।

<u>जमानतदारों द्वारा हस्ताक्षरित:</u>

01. नाम .... हस्ताक्षर ....

02. नाम .... हस्ताक्षर ....

<u>गवाह:</u>

01. नाम .... हस्ताक्षर ....

02. नाम .... हस्ताक्षर ....

<u>नोट</u> : प्रत्येक जमानतदार तथा गवाह का फोटोयुक्त निर्वाचन पहचान पत्र या पेन कार्ड की छाया प्रति चिपकायें।

चेक लिस्ट

अनुलग्नक		चिन्हित करें	
01	पहचान पत्र की प्रति (सरकार द्वारा मान्यता योग्य)	हॉ	नहीं
02	बैंक स्टेटमेन्ट/जमा विवरण की प्रति (छः माह से कम का ना हो)	हॉ	नहीं
03	गाड़ी का ऑनर बुक/रोड परमिट/फिटनेस/इंश्योन्स कागजात की प्रति	हॉ	नहीं
04	अपना वाहन नहीं होने की स्थिति में एकरारनामा की प्रति	हॉ	नहीं
05	निविदा प्रपत्र हेतु रू0 1000/— का मनी रसीद या बैंक ड्राफ्ट (मूल रूप मे)	हॉ	नहीं
06	पैन कार्ड की प्रति	हॉ	नहीं
07	निर्धारित अग्रधन राशि रू0 5000/— का बैंक ड्राफ्ट (मूल रूप मे)	हॉ	नहीं

निविदादाता का पूरा हस्ताक्षर